मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भोपाल द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु दैनिक एंव मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रप्रत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र रू0 500/– नगद जमा कर इस कार्यालय से कार्यालयीन समय में विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 24/03/2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

मुहरबंद निविदायें दिनांक 25/03/2015, दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिनांक को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के संबंध में अन्य विवरण बोर्ड की बेव–साईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

मुख्य रसायनज्ञ (प्रशा.)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

निविदा प्रपत्र

कार्य विवरणः वाहन किराये पर लेने हेतु

निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक	:	25/03/2015, अपराह्न 01.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र को खोलने की दिनांक	:	25/03/2015, अपराह्न 03.00 बजे
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रू0 500/– (पांच सौ रूपये मात्र)
धरोहर राशि मूल्य	:	रू0. 15000/– (पंद्रह हजार रूपये मात्र)

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई–5, पर्यावरण परिसर,
अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.) – 462016

बेवसाईट www.mppcb.nic.in

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 **Fax** : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव राज्य स्तरीय पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भोपाल द्वारा वर्ष 2015 – 16 हेतु दैनिक एंव मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रप्रत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रू. 500/– नगद जमा कर इस कार्यालय से कार्यालयीन समय में विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 24/03/2015 दोपहर 03.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। मुहरबंद निविदाएं दिनांक 25/03/2015, दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिनांक को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के संबंध में अन्य विवरण बोर्ड की बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव राज्य स्तरीय पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) को शासकीय कार्य/बैठकों/कार्यशालाओं एंव बाहर से आये सदस्यों /अतिथियों हेतु वाहनों की आवश्यकता होती है । इस हेतु इंडिका, इंडिका विस्टा, जाइलो, स्कार्पियो, टवेरा, इनोवा, इंडिगो (ए.सी./नॉन ए.सी.) पेट्रोल/डीजल चलित वाहनों की दरें आंमत्रित की जाती है। वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत् संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिये ताकि सेवायें सुगम और बिना किसी परेशानी के हों।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये नियम व शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र मूल्य रू0. 500/– मात्र नगद बोर्ड कार्यालय के लेखा शाखा में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र क्रय करने की पावती की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि (रू.पॉच सौं मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम पर देय हो, निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें । बगैर निविदा प्रपत्र मूल्य की निविदायें अस्वीकार की जावेगी ।

2. संस्था द्वारा **लिफाफा –एक** में धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की पावती की छायाप्रति या डाउनलोंड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट तथा निविदा प्रपत्र –1 जमा करना होगा । **लिफाफा – दो** में अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा निर्धारित प्रपत्र – 2 **अ ब** एंव **स** में दर प्रस्ताव सीलबंद कर प्रस्तुत करेंगें।

3. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि रू0. 15,000/– का बैंक ड्राफ्ट **"सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल"** के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नही की जावेगी। सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि अनुबंध समाप्ति उपरांत संतोष जनक सेवा होने पर वापिस की जावेगी ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

4. किराये पर दिये जाने वाले वाहन नये मॉडल का होना चाहिये तथा अधिकतम दो वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए तथा सभी वाहन टेक्सी कोटे के तथा वाहन यथा संभव जी.पी.एस. सुविधायुक्त होने चाहिये।

5. किराये की अवधि में वाहन में पेट्रोल /डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एंव वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर-ट्यूब आदि के समस्त व्यय की जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।

6. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जायेगा । वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता के अधिकारी के आदेश का पालन करें।

7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियें के टायर-ट्यूब अच्छे होना चाहिये व माइलो मीटर चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

8. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का कम से कम 3 वर्ष पुराना वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। साथ ही वाहन चालक के पास मय ड्रेस एंव मोबाईल सुविधा अनिवार्य है।

9. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा (जिसमें वाहन व वाहन में यात्रा करने वाले यात्री गण भी शामिल होंगे) रजिस्ट्रेशन एंव ड्राइविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे। वाहन टैक्स पेड एंव वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिये । किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा एंव समस्त खर्चे वहन करेगा।

10. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता को होगा एंव यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

11. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को अतिशीघ्र दूसरा वाहन देना होगा तथा सामान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नही दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व भी वाहन प्रदाता का होगा।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

13. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान नही किया जावेगा।

14. माइलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।

15. आवेदन में नाम,पता एंव मोबाईल नम्बर स्पष्ट शब्दों /अंको में लिखा होना चाहिये।

16. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृत आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एंव आवश्यकतानुसार म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान पर में भेजना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

17. **निविदा स्वीकार्य करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल** का होगा। यह निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

18. वाहन चालक वेतन भत्ता एंव अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एंव अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वंय वहन करेगा।

19. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

20. वाहन आवश्यकता /मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/निरीक्षण इत्यादि हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता /मांग अनुसार वार्षिक/मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं। वाहन आवश्कतानुसार भोपाल से बाहर भी प्रदेश में सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।

21. इच्छुक निविदा दाताओं के नाम पर विचार तभी किया जायेगा जिसके पास कम से कम 05 नग वाहन उनके या उनकी फर्म के नाम पर पंजीकृत हों। फर्म मालिक के नाम से पंजीकृत वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिये ।

22. मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेगी। यदि सेवायें संतोषप्रद रहती है तो सदस्य सचिव के आदेशानुसार एग्रीमेन्ट एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

23. बोर्ड कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टेक्स/पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूल देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

24. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

25. संस्था द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख करें।

26. फर्म का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक है।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

प्रपत्र–1
(लिफाफा न0.–1)

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव राज्य स्तरीय पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष/सदस्यो /अधिकारियों को बैठक/साईट विजिट के लिये वाहन उपयोग के लिये किराये पर लिये जाने वाले वाहन यथा इंडिका, इंडिका विस्टा, जाइलो, स्कार्पियो, टवेरा, इनोवा, इंडिगो (ए. सी./नॉन ए.सी.) पेट्रोल/डीजल चलित वाहन हेतु ।

निविदा प्रपत्र

(यह प्रपत्र फर्म संस्था/व्यक्ति अपने लेटर पेड पर टाइप कर अथवा सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करें)

1. फर्म/व्यक्ति का नाम : ....
2. फर्म/व्यक्ति का पता : ....
3. दूरभाष कमांक : ....
4. फर्म का पंजीयन क0. : ....
   (फोटो प्रति संलग्न करें)
5. धरोहर राशि रू0. 15000/– मात्र : ....
   बैंक का नाम : ....
   शाखा : ....
   ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण : ....
6. फर्म/मालिक के नाम से कम से कम 05 वाहन (टेक्सी कोटे के ही मान्य) जो वर्ष 2012–13 के पूर्व के मॉडल न हों । की सूची संलग्न करें। : ....
7. वाहन की भोपाल व भोपाल से बाहर हेतु दर संलग्न प्रपत्र–2 अ ब एंव स अनुसार **लिफाफा–दो** में सीलबंद कर प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण सत्य प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय की निविदा शर्ते पढ़ने व समझने के पश्चात् ही **प्रपत्र – दो** पर दरें प्रस्तुत की जा रही है। वाहन निविदा हेतु निर्धारित नियम व शर्ते जो मुझे निविदा पत्रक के साथ प्राप्त हुई है, उनका एंव वाहन उपलब्ध कराते समय सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये मेरे द्वारा गुणवत्तापूर्ण वाहन उपलब्ध कराया

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

जायेगा । किसी भी त्रुटि या लापरवाही के लिये मैं/मेरी संस्था जिम्मेदार होगी जिसके लिये मुझे/संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने व मेरी /संस्था की धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगा ।

फर्म मालिक के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

प्रपत्र–2 अ

(लिफाफा न0.–2)

भोपाल से बाहर (ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोल/डीजल सहित दर

फर्म का नाम	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	जाइलो	स्कार्पियो	टवेरा	इनोवा	इंडिगो
	250 कि. मी. प्रतिदिन	ए.सी.						
		नॉन ए.सी.						
	अतिरिक्त किलोमीटर की दर							
	रात्रि विश्राम की दर							

फर्म मालिक के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 **Fax**: 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

प्रपत्र – 2 ब
(लिफाफा न0.–2)

प्रतिदिन के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर डीजल सहित

फर्म का नाम	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	जाइलो	स्कार्पियो	टवेरा	इनोवा	इंडिगो सीएस
	10 घंटे, 80 कि. मी. नॉन ए. सी.							
	10 घंटे, 80 कि. मी. ए.सी.							
	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर नॉन ए.सी.							
	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर ए.सी.							
	अतिरिक्त प्रति घण्टे की दर नॉन ए.सी.							
	अतिरिक्त प्रति घण्टे की दर ए.सी.							
	रात्रि विश्राम चार्ज की दर							

फर्म मालिक के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

प्रपत्र – 2 स
(लिफाफा न0.–2)

प्रतिमाह के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर डीजल सहित

फर्म का नाम	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	जाइलो	स्कार्पियो	टवेरा	इनोवा	इंडिगो सीएस
	2000 कि. मी. के लिये दर नॉन ए.सी. 24 घंठे प्रति दिवस							
	2000 कि. मी. के लिये दर ए. सी. 24 घंठे प्रति दिवस							
	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर (दो हजार कि.मी. के बाद) नॉन ए.सी.							
	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर (दो हजार कि.मी. के बाद) ए. सी.							

फर्म मालिक के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित